(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी सत्यनारायण आमेटा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 80 / 2023

बउनवान

राज0 सरकार जर्ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ

(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री द्वारकादास पुत्र श्री साबूराम जाति सिंधी निवासी खाकी बाबा की बगीची के पास, बारां(विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स कलश ट्रेडिंग कंपनी, प्रताप चौक, बारां जिला बारां (राज.)
2. मैसर्स कलश ट्रेडिंग कंपनी, प्रताप चौक, बारां जिला बारां (राज.)
3. श्री चेतन कुमार जैन पुत्र श्री शांति कुमार जैन निवासी प्रताप चौक, बारां जिला बारां मैसर्स अभिषेक कुमार एंड कंपनी, प्रताप चौक, बारां
4. मैसर्स अभिषेक कुमार एंड कंपनी, प्रताप चौक, बारां
5. श्री लोकेश अग्रवाल पुत्र श्री सत्यनारायण अग्रवाल निवासी ट्रेफिक पुलिस ऑफिस के पीछे, गुलाबबाड़ी कोटा मैसर्स तिरुपति स्पाईसेस 38, रुचि सोया ऑयल फैक्ट्री के पीछे, रिक्को इंडस्ट्रियल एरिया, गोविन्दपुर बावड़ी, कोटा(राज.)–324005
6. मैसर्स तिरुपति स्पाईसेस 38, रुचि सोया ऑयल फैक्ट्री के पीछे, रिक्को इंडस्ट्रियल एरिया, गोविन्दपुर बावड़ी, कोटा(राज.)–324005

(अप्रार्थीगण)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (II) 52 एफएसएसएक्ट, 2006 रूल्स, 2011

उपस्थिति :– 1– श्री गोवर्धन सिंह ख्यालिया खा.सु.अ. (प्रार्थी)

2– श्री घनश्याम अग्रवाल अभिभाषक (अप्रार्थीगण)

निर्णय दिनांक 16.01.2024

प्रकरण राजस्थान सरकार जरिये गोवर्धन सिंह ख्यालिया, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 09.02.2023 को मैसर्स कलश ट्रेडिंग कंपनी, प्रताप चौक, बारां जिला बारां (राज.) पर पहुंचा। वहॉ श्री द्वारकादास पुत्र श्री साबूराम सिंधी(विक्रेता एवं मालिक) की हैसियत से उपस्थित था, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया गया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 02.12.2022 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा हूँ और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 02.12.2022 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक आयुक्ता0 / खासुऔनि / संस्था / 2022 / 6235 दिनांक 22.12.2022 से कार्यक्षेत्र जिला बारां आवंटित किया गया तथा आदेश क्रमांक 6379 दिनांक 26.12.2022 के अनुसार मुझे ब्रास सील संख्या 61 आवंटित की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2024.02.01 11:28:07 IST
Reason: SelfAttested

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहॉ [illegible] पदार्थ **धनिया पाउडर (बालाजी स्पाईसेज) 500 ग्राम मूल पॉली पैक** के 06 किग्रा. रैक मे [illegible] थे। मैंने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके [illegible] खाद्य पदार्थ पदार्थ **धनिया पाउडर (बालाजी स्पाईसेज) 500 ग्राम मूल पॉली पैक** में मिलावट एवं मिथ्याछाप का शक होने पर नमूना लेने [illegible] विक्रेता को अवगत कराया गया। तत्पश्चात् नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना [illegible] नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र [illegible] की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारॉ द्वारा खाद्य पदार्थ **धनिया पाउडर (बालाजी स्पाईसेज) 500 ग्राम मूल पॉली पैक** के 04 मूल पॉली पैक वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदे जिसकी कीमत श्री द्वारकादास पुत्र श्री साबूराम सिंधी(विक्रेता एवं मालिक) को 480 / – रूपये (अक्षरे चार सौ अस्सी रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **धनिया पाउडर (बालाजी स्पाईसेज) 500 ग्राम मूल पॉली पैक** के चारो भागो पर अलग अलग लेबल तैयार कर चिपकाये एवं लेबल पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.–1658 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.–1658 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री द्वारकादास पुत्र श्री साबूराम सिंधी(विक्रेता एवं मालिक) ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं. 6 की अलग से सील्ड लिफाफे मे स्वंय द्वारा खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2023/89 दिनांक 28.02.2023 से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 135/PHL/kota/Act/2023/135 दिनांक 22.02.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **धनिया पाउडर (बालाजी स्पाईसेज) 500 ग्राम मूल पॉली पैक** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zf)C(i) के तहत **मिथ्याछाप (Misbrand)** होना पाया गया।

इस पर प्रकरण दिनांक 27.10.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर उपस्थिति दी गई। प्रकरण में अप्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया जाकर उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

राजस्थान सरकार जरिये प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां ने परिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **धनिया पाउडर (बालाजी स्पाईसेज) 500 ग्राम मूल पॉली पैक** को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह जॉच रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 3(1)(zf)C(i) के तहत **मिथ्याछाप (Misbrand)** होना पाया गया। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (II) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2024.02.01 11:28:07 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि खाद्य पदार्थ **धनिया पाउडर (बालाजी स्पाईसेज) 500 ग्राम मूल पॉली पैक** मानकों पर खरा एवं उत्पादित पाया गया है। पब्लिक हेल्थ लेबोरेट्री द्वारा जारी जांच रिपोर्ट में जांच अवधि में किये परिणामों का कोई वर्णन नहीं है। इस अवधि में किये गये परीक्षण का परिणाम पृथक–पृथक तिथियों का दर्ज नहीं है। खाद्य पदार्थ को मिथ्याछाप(Misbrand) बताने का कोई आधार जांच रिपोर्ट में दर्ज नहीं है। अतः निवेदन है कि परिवाद निरस्त फरमाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थी राजस्थान सरकार जर्ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारॉ द्वारा कहा गया कि अप्रार्थीगण यदि खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 135/PHL/kota/Act/2023/135 दिनांक 22.02.2023 से असन्तुष्ट थे तो अप्रार्थीगण को जर्ये पत्र सूचित किया जाकर एक माह का समय दिया गया था कि उक्त सेम्पल की पुनः जॉच करवाये, किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा उक्त सेम्पल की पुनः जॉच नहीं करवायी गई है।

प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई और पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया कि अप्रार्थीगण से वास्ते नमूना जॉच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ **धनिया पाउडर (बालाजी स्पाईसेज) 500 ग्राम मूल पॉली पैक** खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 135/PHL/kota/Act/2023/135 दिनांक 22.02.2023 के अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स 2011 की धारा 3(1)(zf)C(i) के तहत **मिथ्याछाप (Misbrand)** होना पाया गया। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (II) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 52 के तहत अप्रार्थी क्रम 05 व 06 को कुल जुर्माना राशि 52,000/– रूपये (अक्षरे बावन हजार रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थी क्रम 05 व 06 उक्त जुर्माना राशि ई–मित्र सेवा केन्द्र से चालान निकलवाकर, जरिये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे अन्दर एक माह प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक **16.01.2024** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण आमेटा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
बारॉ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2024.02.01 11:28:07 IST
Reason: SelfAttested